राजकीय महाविद्यालय, बाप–जोधपुर

छात्रसंघ चुनाव : 2022–23

कक्षावार मतदान कक्षों का विवरण

कक्षा	कुल मतदाता संख्या	कक्ष संख्या
बी.ए.–1 (छात्र)	77	कक्ष–02
बी.ए.–2 (छात्र)	63	कक्ष–02
बी.ए.–3 (छात्र)	62	कक्ष–02
योग	202	
बी.ए.–1 (छात्राएं)	66	कक्ष–04
बी.ए.–2 (छात्राएं)	60	कक्ष–04
बी.ए.–3 (छात्राएं)	34	कक्ष–04
योग	160	

कार्यालय अध्यक्ष, निर्वाचन मंडल, राजकीय महाविद्यालय, बाप-जोधपुर

छात्रसंघ चुनाव 2022-23

क्रमांक:- **2175** दिनांक:- **24 अगस्त 2022**

प्रत्याशी एवं मतदाताओं हेतु : मतदान एवं मतगणना संबंधी सूचना

छात्रसंघ चुनाव 2022-23 में मतदान एवं मतगणना संबंधी विभिन्न विवरण निम्नानुसार है :-

1. उसी मतदाता को मतदान का अधिकार होगा जिसका नाम मतदाता सूची में है तथा उसके पास महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सत्र् 2022-23 का वोटर कार्ड हो ।
2. प्रत्याशियों एवं मतदान एजेंट को चुनाव संबंधी बैज धारित करना होगा ।
3. मतदान का समय है प्रात: 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ।
4. मतपत्रों के वैध-अवैध होने संबंधी दिशा-निर्देश महाविद्यालय के चुनाव सूचना पट्ट पर लगा दिए गये हैं/लगा दिये जाएंगे ।
5. दिनांक 26 अगस्त 2022 को मतदान समाप्त होने के पश्चात सभी मतपेटियां को उप-कोषागार कार्यालय, बाप-जोधपुर में अथवा उनके निर्देशानुसार संग्रहण कक्ष में सुरक्षित रख दिया जाएगा । दिनांक 27 अगस्त 2022 को 9:30 बजे ये मतपेटियां उपर वर्णित संग्रहण कक्ष से वापिस लायी जाएंगी ।
6. इन्हें सीधे महाविद्यालय के मतगणना कक्ष में लाया जाएगा ।
7. ठीक 10:00 बजे मतपेटियां खुलनी प्रारंभ होंगी ।
8. दोपहर 9:30 बजे से **मतगणना** कक्ष में केवल प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे । सभी को अपने बैज धारण करने होंगे ।
9. पहले मतगणना स्थल पर एक-एक करके सभी मतपेटियां खोली जाएगी । पदवार मतपत्रों को अलग-अलग किया जाएगा एवं 50-50 का बंडल बनाया जाएगा । उनका मतपत्र लेखा प्रपत्र में अंकित मतपत्रों की संख्या से मिलान किया जाएगा । इस कार्य को करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का एक दल बनाया गया है । इस प्रक्रिया के सभी चरणों से संतुष्ट होने का प्रमाण पत्र प्रत्याशी को देना होगा ।
10. किसी भी प्रत्याशी को मतपत्र छूने का अधिकार नहीं होगा ।
11. **प्रत्येक पद की मतगणना टेबल पर संबंधित पद के सभी प्रत्याशी, मतगणना अधिकारी उपस्थित होंगे तथा इनके साथ आवश्यकतानुसार अन्य मतगणना अधिकारियों को सम्मिलित किया जा सकेगा ।**
12. **मतगणना टेबल पर सबसे पहले मतपत्रों को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जाएगा । प्रथम विवादास्पद तथा द्वितीय गैर विवादास्पद यानि किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्राप्त वैध मतपत्र ।**
13. **पहले विवादास्पद मतपत्रों का निस्तारण किया जाएगा यानि उनके संबंध में यह निर्णय लिया जाएगा कि वे वैध हैं या अवैध ।**
14. **वैध होने पर उन्हें वैध मतपत्रों के समूह में मिला दिया जाएगा । अवैध होने पर उन्हें अलग रख दिया जाएगा ।**
15. **सभी अवैध मतपत्रों की गणना की जाएगी ।**
16. **यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात सभी प्रत्याशियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वे विवादास्पद मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया एवं निर्णय से संतुष्ट है ।**
17. **इस आशय का प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही सभी वैध मतपत्रों को प्रत्याशियों के अनुसार अलग-अलग कर लिया जाएगा ।**

18. उसके बाद सभी प्रत्याशियों के हिस्से के वैध मतपत्रों की गणना प्रारंभ की जाएगी ।

19. सभी प्रत्याशियों के हिस्से के वैध मतपत्रों की गणना का कार्य समाप्त होने के पश्चात यदि प्रत्याशी पुनः मतगणना चाहते हैं तो इसके संबंध में उसे मतगणना का परिणाम घोषित होने से पूर्व मतगणना कक्ष में लिखित में अध्यक्ष चुनाव मंडल को प्रार्थना पत्र देना होगा । **यदि लिखित में प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या मतगणना का परिणाम घोषित हो जाता है तो उसके पश्चात किसी प्रत्याशी की पुनः मतगणना की मांग/शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

20. **संपूर्ण मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया की महाविद्यालय प्रशासन द्वारा वीडियो रिकार्डिंग करवायी जाएगी जिसे बिना किसी काट-छांट के महाविद्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाएगा ।**

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
बाप-जोधपुर

कार्यालय अध्यक्ष, निर्वाचन मंडल, राजकीय महाविद्यालय, बाप-जोधपुर

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

वैध मत (Valid Vote) तथा अवैध मत (Invalid Vote) संबंधी दिशा–निर्देश

निम्न परिस्थितियों में मत वैध (Valid Vote) माने जाएंगे :-

1. चौकड़ी चिन्ह की छाप केवल एक ही प्रत्याशी के खाने में, कहीं भी हो तो यह मत वैध होगा ।
2. चौकड़ी चिन्ह की एक से अधिक छाप केवल एक ही प्रत्याशी के खाने में हो तो यह मत वैध होगा ।
3. किसी मतपत्र पर यदि चौकड़ी चिन्ह प्रथम प्रत्याशी के खाने के उपर वाली रेखा को छूता है तो इसे प्रथम प्रत्याशी का वैध मत होगा । इसी प्रकार से किसी अन्य मतपत्र पर यदि यह अंतिम प्रत्याशी के खाने के नीचे वाली रेखा को छूता है तो यह नीचे वाले प्रत्याशी का वैध मत होगा ।
4. यदि चौकड़ी चिन्ह दो प्रत्याशियों के खाने को विभाजित करने वाली रेखा को छूता है परन्तु विभाजन लाईन को आर–पार नहीं करता है तो जिस प्रत्याशी की तरफ चौकड़ी चिन्ह की छाप है यह उसी प्रत्याशी का यह वैध मत माना जाएगा ।
5. मतपत्र मोड़ने के कारण यदि चौकड़ी चिन्ह की छाप की **उलटी छाप** किसी अन्य प्रत्याशी के खाने में अंकित हो जाती है तो भी यह उस प्रत्याशी का वैध मत माना जाएगा जिसके खाने में चौकड़ी चिन्ह की **सही यानि मूल यानि सीधी छाप** लगी है ।
6. मतपत्र पर चौकड़ी चिन्ह की छाप सही लगी है परन्तु यह छाप एक से अधिक है तथा एक छाप तो किसी एक प्रत्याशी के खाने में ही लगी है परन्तु अन्य छाप मतपत्र के किसी खाली स्थान पर लगी है, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मतदाता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मत अंकित किया है तो यह मत वैध होगा।
7. किसी मतपत्र पर यदि चौकड़ी चिन्ह प्रथम प्रत्याशी के खाने के उपर वाली रेखा के दोनों ओर चला जाता है तो यह मत वैध होगा क्योंकि वह प्रथम प्रत्याशी के खाने में भी है । इसी प्रकार से किसी मतपत्र पर यदि चौकड़ी चिन्ह अंतिम प्रत्याशी के खाने के नीचे वाली रेखा के दोनों ओर चला जाता है तो यह मत वैध होगा क्योंकि वह अंतिम प्रत्याशी के खाने में भी है

निम्न परिस्थितियों में मत अवैध (Invalid Vote) माने जाएंगे :-

1. मतपत्र खाली हो तो यह मत अवैध होगा ।
2. मतपत्र पर चौकड़ी चिन्ह की एक/अधिक छाप तो लगी है परन्तु वह/वे सभी मतपत्र के किसी खाली स्थान पर लगी है तो यह मत अवैध होगा ।

3. मतपत्र पर कोई अन्य निशान जैसे टिकमार्क, गोला इत्यादि का निशान बनाया है या मतपत्र पर कुछ लिखा गया है तो यह मत अवैध होगा, चाहे चौकड़ी चिन्ह की छाप लगी हो अथवा नहीं ।

4. मतपत्र पर चौकड़ी चिन्ह की छाप सही लगी है परन्तु वह एक से अधिक प्रत्याशियों के खाने में लगी है जिससे यह सुनिश्चित **नहीं** किया जा सकता है कि मतदाता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मत अंकित किया है तो यह मत अवैध होगा ।

5. यदि चौकड़ी चिन्ह दो प्रत्याशियों के नामों के खानों को विभाजित करने वाली रेखा के दोनों ओर चला जाता है तो यह मत अवैध होगा ।

6. यदि चौकड़ी चिन्ह की छाप दो प्रत्याशियों के नामों के खानों को विभाजित करने वाली रेखा के उपर इस प्रकार से अंकित की जाती है जिससे वह किसी भी प्रत्याशी की तरफ प्रतीत नहीं होती है तो यह मत अवैध होगा ।

7. यदि मतपत्र के पीछे अध्यक्ष निर्वाचन मंडल के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है तो वह मतपत्र भी अवैध होगा ।

8. यदि मत्रपत्र के उपर मतपत्र क्रमांक नहीं लगा है तो भी मतपत्र अवैध होगा ।

नोट : यदि किसी पद के दो या अधिक प्रत्याशियों को अधिकतम एवं समान मत प्राप्त होते हैं तो विजेता प्रत्याशी का चुनाव प्राचार्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा तीन बार टॉस कर किया जाएगा । मत संबंधी किसी भी विवाद का निस्तारण इस उद्देश्य हेतु बनी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा ।

अध्यक्ष निर्वाचन मंडल
राजकीय महाविद्यालय
बाप–जोधपुर

SAMPLE AND SOME EXAMPLES OF VALID AND INVALID VOTE

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर	**राजकीय महाविद्यालय, बालेसर**	**राजकीय महाविद्यालय, बालेसर**
क्रमांक : **1**	क्रमांक : **1**	क्रमांक : **1**
छात्रसंघ चुनाव 2018–19	**छात्रसंघ चुनाव 2018–19**	**छात्रसंघ चुनाव 2018–19**
मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु	मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु	मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु
महेश कुमार	**महेश कुमार**	**महेश कुमार**
दीनबंधु नाथ	**दीनबंधु नाथ**	**दीनबंधु नाथ**
वैध है – महेश के पक्ष में	**वैध है – महेश के पक्ष में**	**वैध है – दीनबंधु के पक्ष में**

SAMPLE AND SOME EXAMPLES OF VALID AND INVALID VOTE

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र–बी.ए. प्रथम–कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

वैध है – महेश के पक्ष में

वैध है – दीनबंधु के पक्ष में

वैध है – दीनबंधु के पक्ष में

SAMPLE AND SOME EXAMPLES OF VALID AND INVALID VOTE

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

SAMPLE AND SOME EXAMPLES OF VALID AND INVALID VOTE

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

राजकीय महाविद्यालय, बालेसर

क्रमांक : **1**

छात्रसंघ चुनाव 2018–19

मतपत्र-बी.ए. प्रथम-कक्षा प्रतिनिधि पद हेतु

महेश कुमार

दीनबंधु नाथ

अवैध है रद्द होगा

राजकीय महाविद्यालय, बाप–जोधपुर

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

वोटरकार्ड न लाने वाले मतदाताओं का मताधिकार :–

जिन मतदाताओं को वोटर कार्ड निर्गमित किये जा चुके हैं :–

1. **यदि वे मतदाता वोटरकार्ड मतदान के समय लाना भूल जाते हैं तो उन्हें मताधिकार नहीं मिलेगा ।**
2. यदि **किसी मतदाता का वोटरकार्ड खो जाता है या फट जाता है तो** उन मतदाताओं को निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर ही विशिष्ट मतदाता पर्ची बनाकर दी जाएगी तथा वे मतदान कर पाएंगे :–
   - ऐसे मतदाता को अपना आधार कार्ड मूल, प्रवेश शुल्क 2022–23 जमा करवाने की रसीद की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि, बी.ए.–2 एवं 3 कक्षा के मतदाताओं को विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 के प्रवेश कार्ड की स्वयंसत्यापित प्रतिलिपि लानी होगी । **किसी भी दस्तावेज को मोबाइल में यानि उनकी डिजिटल मूल या प्रतिलिपि को नहीं देखा जाएगा या स्वीकार किया जाएगा ।**
   - ऐसे मतदाता को अपने नाम से 10 रू का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर बनवाना होगा, नोटेरी से प्रमाणित करवाना होगा तथा उस नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर में निम्न विवरण होना चाहिये :–

मनके .... पुत्र/पुत्री श्री .... उम्र .... वर्ष .... निवासी .... का हूँ। जो कि शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ–

1. *यह कि मैने सत्र 2022–23 का वोटर कार्ड महाविद्यालय से प्राप्त किया था ।*
2. *यह कि मेरा वोटर कार्ड कहीं खो गया है / नष्ट हो गया है ।*
3. *यह कि यदि मेरा वोटर कार्ड बाद में प्राप्त होता है तो वह उसे महाविद्यालय में जमा करवा देगा तथा उसका अन्य कोई उपयोग नहीं करेगा तथा मतदान पर्ची के आधार पर मतदान करलेने के पश्चात वह उसका उपयोग दुबारा मतदान हेतु नहीं करेगा ।*
4. *यह कि यदि उसके वोटर कार्ड का अन्य कोई भी दुरूपयोग करता है तो वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा ।*